न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 301/2018
RCMS No. : 2018/00467

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 अल्केश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार फर्म– अल्केश ट्रेडिंग कम्पनी सुमेरपुर (जवाई बांध रोड नई मण्डी के सामने) सुमेरपुर 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र नारायणलाल अग्रवाल, मैसर्स–बीसी ट्रेडिंग कृषि मण्डी के सामने (जवाई बांध रोड नई मण्डी के सामने) सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री पंकज दवे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक 13/03/2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 01.02.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स अल्केश ट्रेडिंग कम्पनी सुमेरपुर (जवाई बांध रोड नई मण्डी के सामने) सुमेरपुर पर गया। जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थित मिला, जिसने अवगत कराया कि वह फर्म अल्केश ट्रेडिंग के नाम से चला रहा है तथा आटा मिल का नाम बी.सी. ट्रेडिंग कम्पनी है, जिनके मालिक का नाम सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल है। मौके पर पांच–पांच किलो की आटे की थैलियां में आटा पैक किया जा रहा था, जो बिक्री हेतु निर्माण होना बताया तो मिलावट का शक हुआ। इसलिए रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। बिक्री हेतु रखे आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) के पांच–पांच किलो आटे की चार मूल पैक थैली वास्ते जॉच हेतु क्रय किया तथा इसका मूल्य 400 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा उक्त क्रयसुदा आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–739 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अप्रार्थी के लिखित जवाब में उल्लेखित तथ्यों का कथन करते हुए निवदेन किया कि लैब जांच की रिपोर्ट के अनुसार उनके उत्पादन की गुणवता के मानक स्तर पर पाई गई है। लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिसब्राण्ड के आधार पर अप्रार्थी को लेबल पर बेच नम्बर, डेट ऑफ मेनुफेक्चरिंग व पूर्ण पता नहीं होने के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख फर्द जब्ती पर नहीं किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को दोषमुक्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी के लिखित जवाब में उल्लखित तथ्यों का कथन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आटे का सेम्पल लिया गया वह उनकी फर्म का नहीं था। उक्त आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) का फर्म मैसर्स अल्केश ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा तैयार किया जाकर, बेचा जा रहा था। उनकी फर्म बी.सी. ट्रेडिंग कम्पनी का उक्त सेम्पल आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) से कोई लेना–देना नहीं है। अतः अप्रार्थी को दोष मुक्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–739 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./71/एसीटी/2018/89 दिनांक 09.02.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–739 को Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि जिस आटे का सेम्पल लिया गया है, वह उनकी फर्म का नहीं है, जो सत्य प्रतीत होता है तथा जहॉ तक प्रश्न आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) के मिसब्राण्ड का है तो, लैब की रिपोर्ट अनुसार आटे की थैली पर बैच नम्बर, मैनुफक्चुरिंग/पैकिंग की दिनांक अंकित नहीं है तथा फर्म का पूर्ण पता अंकित नहीं होने से मिस ब्राण्ड माना है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है तथा जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (3) (ii)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन है, जो धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य वस्तु आटा (ब्रान्ड श्याम भोग) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल 60,000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 13/03/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली